अति–आवश्यक/रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 13/12/2012

कमांक डीसी–2/ए–I/हरि.165/12/2301

परिपत्र

विषय :– न्यायिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य में स्थित संस्थाओं के संविधान सम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विष्य में लेख है कि गम्भीर रूप से अवमानक घोषित औषधियों के प्रकरणों में न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु औषधि नियंत्रण अधिकारियों को समय समय पर अनुदेश जारी किये जाते रहें हैं परन्तु संविधान सम्बन्धी सूचना के अभाव में सम्बन्धित माननीय न्यायालय में वाद दायर करने में विलम्ब होता है। प्रायः यह देखा गया है कि औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा संविधान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक को लिखे जाने के उपरान्त भी काफी समय तक संविधान सम्बन्धी सूचना नहीं भिजवाई जाती है जिससे वाद दायर करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समस्त अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रको को निर्देशित किया जाता है कि औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वांछित संस्थाओं के संविधान सम्बन्धी प्रमाणित सूचना/दस्तावेज तत्काल उपलब्ध करावें/भिजवावें।

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य में स्थित संस्थाओं के संविधान सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने हेतु वे स्वयं भी रूचि लेकर सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रकों से सूचना प्राप्त करें ताकि न्यायिक कार्यवाही के प्रकरणों में वाद दायर करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक डीसी–2/ए–I/हरि.165/12/2301

दिनांक 13/12/2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को पालनार्थ।
2. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
3. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि परिपत्र को औषधि नियंत्रण संगठन –परिपत्र में प्रदर्शित करावें।
4. सी–डेस्क/रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर।